'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 15 अगस्त, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 18 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 अगस्त, 2013

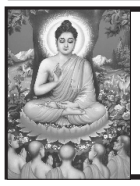

प्राणीमात्र की हिंसा से विरत रहना

–गौतम बुद्ध

आजादी के 66 साल में जाति को छू न सके

डॉ. उदित राज

देश 66वां आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जाति को समाप्त करने की बात तो दूर, इसे छू भी नहीं पाए। प्रथम दृष्ट्या यह लग सकता है कि इसमें अतिश्योक्ति है लेकिन हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से इसकी पुष्टि होती है कि जाति–व्यवस्था न केवल समाज में बल्कि राजनीति में अपनी अहमियत रखती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जाति के आधार पर राजनैतिक रैलियां नहीं होनी चाहिए। क्या जाति के आधार पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्मेलन हों? इस निर्णय का स्वागत और विरोध दोनो हुआ लेकिन विरोध का स्वर जाहिर इसलिए नहीं हुआ कि अदालत का निर्णय है और इसका इस्तेमाल पर्दे के पीछे ही ज्यादा होता है। 66 साल बहुत होते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए। दुनिया के तमाम समाज और देश हमसे बाद में आज़ाद हुए या प्रगति की रफ्तार पकड़ी लेकिन वे बहुत आगे निकल गए। कौन सा ऐसा मुख्य कारण है जिसकी वजह से तमाम सारे प्रयासों पर पानी फिरता रहता है।

हम 6000 जातियों एवं 65,000 उप–जातियों में बंटे हैं। विभाजन का अंत यहीं नहीं होता बल्कि वह गोत्र में जाकर समाप्त होता है। एक जाति में कई गोत्र होते हैं तो इस तरह से हम कितने टुकड़ों में आज भी बंटे हुए है। जिन लोगों को यह विभाजन दिखता नहीं या वे इसका परिणामी असर नहीं देख पाते हैं, वे भी जान लें कि शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, आचार–विचार आदि इससे प्रभावित होते रहते हैं। हाल में गरीबी रेखा पर बहस तेज हुई है। शहर में जिसकी प्रतिदिन आय 33.40 रूपये से अधिक है वह गरीबी रेखा के ऊपर है और ग्रामीण में यह सीमा 27.20 रूपये है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यहां तक कह डाला कि 12 रूपये में एक आदमी भर पेट भोजन कर सकता है। हो–हल्ला के बाद गरीबी रेखा की इस परिभाषा से कदम पीछे खींच लिया। समयान्तराल गरीबी रेखा के मापदंड भी बदलते रहते हैं। एक अर्थशास्त्री गरीबी के कारण को धन का असंतुलित वितरण, कुल घरेलू सकल उत्पाद का गिरना, कम अनाज के उत्पादन आदि को समझता है न कि इनके पीछे की सामाजिक व्यवस्था – जाति को। इसी संकुचित और सतही सोच के दायरे में न केवल एक अर्थशास्त्री बल्कि साहित्यकार, लेखक, राजनैतिक, नौकरशाह एवं व्यापारी आदि सभी हैं।

चीन के विकास के मॉडल को सभी सराहते हैं लेकिन पृष्ठभूमि को नहीं जानने की कोशिश करते। हमारे यहां यदि जातीय व्यवस्था सबसे बड़ी अभिशाप है तो चीन में भी आलस्यपन एवं पुरानी सड़ी–गली रीति–रिवाज उसे पीछे ढकेलने का काम करते थे। इस बात को वहां की सरकार ने समझा और सांस्कृतिक क्रांति, जो कल्चरल रिव्यूलूशन के नाम से मशहूर है, को स्वयं किया न कि समाज के ऊपर छोड़ा। हमारी सरकार जातीय व्यवस्था में बदलाव करने के लिए कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए और परिणाम रहा कि यह ज्यों की त्यों रही और कुछ मामले में बढ़ी भी। शासन–प्रशासन का आखिर में क्या दायित्व है? ऐसी गंभीर समस्या पर आंख मूंद ले तो इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसने क्या जिम्मेदारी निभायी? वास्तव में दुनिया में सबसे ज्यादा भेदभाव की भावना रखने वाले अगर कोई हैं तो हम लोग हैं।

आइए एक उदाहरण से जानें कि क्या दुनिया में कोई और समाज इतना भेदभाव करने वाला है? कानून की पढ़ाई करने वाला नाईजीरिया का एक छात्र, ओकोरोंकों हाईजिनस उचेना, ने कहा कि जब भी वे दिल्ली में चलते हैं तो लोग कानाफूसी करते हैं कि काला जा रहा है। कभी–कभी तो लोग इन पर जोर से ठहाका मारकर हंसते हैं। उचेना कहते हैं कि इससे निबटने के लिए हेडफोन लगा लेते हैं, ताकि इस बुरे अनुभव से बच सकें। एक दूसरे रवांडा निवासी अश्वेत व्यक्ति का अनुभव कुछ ऐसा ही है कि जब वे अपने एक नेपाली मित्र के साथ किराए का मकान लेने गए तो मालिक ने कहा कि नेपाली को दे सकते हैं, लेकिन काले व्यक्ति को नहीं। तमाम अश्वेत लोगों का पार्टियों में दावत नहीं दी जाती। इन्होंने तो लोगों की दावत स्वीकार करना भी बंद कर दिया। उचेना फोटोकॉपी मशीन खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी फोटोकॉपी करने से लोग मना कर देते हैं या व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं। कितनी

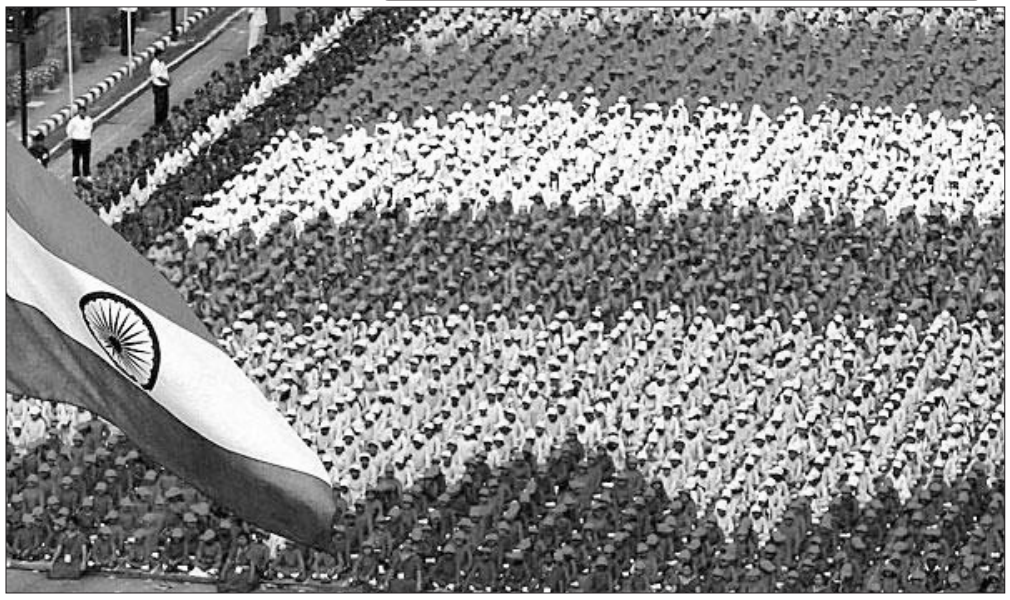

हास्यास्पद बात है कि जो लोग स्वयं अंग्रेजों द्वारा इतने बड़े भेदभाव के शिकार रहे हों, आज वे जितना कर रहे हैं शायद ही अन्यत्र हो रहा हो। अश्वेत लोग कम से कम अपनों में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन हम तो अपनों में भी करते हैं। जातीय भेदभाव तो बड़ा मुद्दा है ही लेकिर रंगभेद भी गंभीर समस्या है। लड़की सांवली हो तो उसकी शादी बड़ी मुश्किल हो जाती है और ज्यादा दहेज देकर इस समस्या से लोग निबट रहे हैं। सरकार कैसे यह कह सकती है कि यह लोगों का निजी मामला है, जबकि चीन ने ऐसा नहीं किया। वैवाहिक कॉलम में गोरी लड़की की मांग लगभग सभी करते हैं। क्या सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया? हम इतने भेदभाव करने वाले हैं कि अंततः अपने से ही घृणा करने लगते हैं। लेकिन अश्वेत लोग हमसे कई गुना बेहतर हैं जो यह कहते हुए थकते नहीं कि जो चीज अश्वेत है, वह सुन्दर है। इस भेदभाव का असर तमाम क्षेत्रों में है और शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। गोरी रंग की लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है और दहेज भी कम देना पड़ता है। और इसलिए ये उच्च शिक्षा और नौकरियों में कम पहुंच पाती हैं।

आज़ादी के इतने दिन बीत गए, हम दुनिया का सबसे बड़ा कलंक अभी भी माथे पर ढो रहे हैं। कौन सा ऐसा समाज है, जहां इंसान दूसरों का मल–मूत्र अपने सिर पर ढो रहा है? ये लोग क्या अपने आपको आज़ाद कह सकते हैं? भले कानूनन यह अवैध है लेकिन लाखों लोग अभी भी इस कार्य को कर ही रहे हैं। दूर–दूर से आशा की किरण नहीं दिखती है कि जाति और रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त हो पाएगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ संभव है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो सवर्णों में खुशी की लहर फैल गयी। अतः अब सवर्ण भी जाति को लेकर चिंतित हैं। जैसे–जैसे समय बीत रहा है, जाति की वजह से उन्हें राजनीति में तो घाटा होने लगा है लेकिन फिर भी अभी आवाज नहीं पैदा हुई कि जाति मिटायी जाए। न्यायालय के इस फैसले के बाद अखिल भारतीय जाट महासभा, विश्व ब्राह्मण सभा, पोद्दार सभा, क्षत्रिय सभा आदि ने जातीय संगठन बनाने पर जोर दिया, फिर भी यहां से एक आशा की किरण दिखती है कि जब जाति से घाटा होगा तो देर–सबेर इससे मुक्त होने की आवाज तो उठ सकती है। जो दलित और पिछड़े जाति–व्यवस्था से पीड़ित थे, राजनैतिक लाभ के लिए बढ़ावा देने लगे हैं। परिणावस्वरूप जहां–जहां जाति से लाभ हो रहा है, वहां तो इसे बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, नुकसान की जगह पर जाति बुरी है। इस अंतर्द्वन्द से हम कैसे उभर पाएंगें? आज़ादी के 66 साल में हम एक भी बड़ा काम नहीं कर पाए कि जातीय व्यवस्था को समाप्त कर सकते।

पटेल के नाम पर आदिवासियों पर अत्याचार

उषा चांदना

अहमदाबाद। गुजरात में सरदार पटेल के नाम पर मोदी सरकार द्वारा 86 गांवों के आदिवासी किसानों की 90 हजार एकड़ जमीन छीनी जा रही है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने गुजरात के वारडोली में ऐतिहासिक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन अब उनकी सबसे ऊंची विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा बनाने के नाम पर नर्मदा नदी के किनारे नरेंद्र मोदी सरकार जो अम्युजमेंट थीम पार्क परियोजना लागू करने जा रही है उस 'सरदार सरोवर पर्यटन परियोजना' के लिए 86 गांवों के आदिवासियों और किसानों की 90 हजार एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा करके आदिवासी किसानों को बेदखल किया जा रहा है।

जमीन हासिल करने की योजना पर मोदी सरकार द्वारा पिछले पांच साल से प्रयास किया जा रहा है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा भले ही नर्मदा सरोवर के बीच स्थापित होगी लेकिन प्रतिमा के साथ पर्यटन विकास कार्य के नाम पर इन गांवों के आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है।

इस परियोजना की घोषणा भले ही अब की गई हो, लेकिन इसकी योजना पुरानी है। शायद इसलिए आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित करने के लिए बेहद चतुराई से मोदी सरकार ने पांच साल पहले की काडा (केवड़िया एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी) की रचना कर दी ताकि विकास की दुहाई देकर जमीन छीनने की योजना बनाई जा सके।

आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने वनाधिकार अधिनियम 2006 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से लागू भी हो गया है लेकिन इस सबके बावजूद भी 2007-08 में काडा ने 16 गांवों को अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन इस परियोजना के अंतर्गत अब और 70 गांव ऐसे हैं जिन्हें काडा के अंतर्गत समाहित करने की योजना बनाई जा रही है।

आदिवासियों के लिए काम कर रहे लखन का कहना है कि इस परियोजना में आदिवासियों के जंगल और खेत की करीबन 90,000 एकड़ जमीन जा सकती है। जबकि 1996 के पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को जल, जंगल, जमीन और खनिज पर आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखने की स्वायत्तता है और ग्रामसभा के बाद सीधे राज्यपाल को ही हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में ग्रामसभा से पूछा ही नहीं गया और सीधे पत्र लिखकर यह सूचित किया गया है कि अगर 15 दिनों में आप लोगों का जवाब नहीं आया तो इसे हां समझा जाएगा।

गांव के आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। जब भी कोई पर्यटक यहां आता है तो यहां के आदिवासी उनको कहते हैं कि आप हमारा यह संदेश सरकार तक पहुंचा दें।

सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि खुद सरकार सरोवर बांध के लिए पिछले आठ सालों से अब तक छह गांवों के मुआवजे का मामला सुलझ नहीं पाया है। सरकार के पास आदिवासियों की कितनी जमीन है इसका रिकार्ड भी नहीं है। अब सरकार 16 गांवों को साथ-साथ जिन 70 गांवों की जमीन लेना चाहती है उन आदिवासियों की जमीन पर थीम एम्युजमेंट पार्क के अलावा गोल्फ कोर्स, वॉटर रिसोर्ट, होटल आदि बनेंगे जिससे शहर के लोग यहां आकर मौज मस्ती कर सके।

भूतपूर्व सरपंच हरिभाई तड़वी कहते हैं कि 1962 में सरदार सरोवर बांध बना था, उस समय छह गांवों को कोई मुआवजा नहीं मिला था। आदिवासियों के फर्जी अंगूठे लगाकर मुआवजे की राशि अधिकारियों ने हड़प ली। लेकिन अब 'काडा' की रचना कर सरकार ने आदिवासियों के पंचायती राज को समाप्त कर आदिवासियों की जमीन छीनने की योजना बना रही है।

(साभार- दलित आदिवासी दुनिया)

विदेशी युवती को घेर कांवड़िए करने लगे शर्मनाक हरकत

उत्तराखंड में हरिद्वार के हरकी पौड़ी पर गंगा स्नान करने पहुंची विदेशी युवती से कांवड़ियों ने छेड़छाड़ की। दूसरी ओर से तैर कर महिला घाट पहुंचे हुड़दंगी कांवड़ियों ने युवती को घेर लिया।

पुलिस ने लाठियां फटकार कर किसी तरह युवती को बचाया। इस दौरान हरकी पौड़ी पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि फ्रांस निवासी 24 वर्षीय युवती लारेन गंगा स्नान करने हरिद्वार आई हुई थी।

छींटाकशी की, सीटियां बजाई

1 अगस्त को हरकी पौड़ी और मालवीय घाट पर बड़ी संख्या में कांवड़िए भी स्नान कर जल भर रहे थे। विदेशी महिला को स्नान करता देख कुछ मनचले कांवड़िए उससे छेड़खानी शुरु कर दी।

कावड़ियां छींटाकशी करने लगे और सीटियां बजाने लगे। ब्रह्मकुंड से होते हुए कुछ कांवड़िए युवती के पास पहुंचने लग गए। कुछ मालवीय द्वीप से तैर कर महिला घाट पर पहुंचे और स्नान कर रही युवती से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी।

पानी में युवती को घेरा

पानी में विदेशी युवती के साथ कांवड़िए शर्मनाक हरकत करने लगे। एक कांवड़िए ने पानी में युवती का पैर पकड़ लिया। युवती बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन, कांवड़ियों ने उसे घेर लिया। इसी बीच पुलिस की भी नजर पड़ गई। आसपास तैनात सभी पुलिसकर्मी घाट पर पहुंचे जहां उन्होंने युवती को बचाने के लिए कांवड़ियों पर लाठियां फटकारनी शुरू कर दी।

इससे हरकी पौड़ी पर अफरा-तफरी मच गई। यह सब देखकर मनचलों ने युवती छोड़ दी और तैरकर इधर-उधर हो गए। सूचना पर नगर कोतवाल महेश चंद्र जोशी, हरकी पौड़ी चौकी प्रभारी आर. के. सकलानी भी मौके पर पहुंच गए।

पुलिस ने खदेड़ा

इन्होंने युवती से जल्द स्नान करने का आग्रह किया। स्नान के तुरंत बाद युवती अपनी सहयोगी अनीता और एक गाइड के साथ कहीं निकल गई।

कोतवाल महेश चंद्र जोशी ने बताया कि विदेशी युवती को कांवड़िए परेशान कर रहे थे। मना करने पर भी जब बाज नहीं आए तो लाठियां फटकारनी पड़ी।

(साभार- अमर उजाला)

15 प्रतिशत को 50 प्रतिशत सरकारी सेवाएं सुरक्षित क्यों?

भवननाथ पासवान

लखनऊ। अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने गत् 8 जुलाई को कहा कि गत् 28 जुलाई से दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में बनी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा है। छात्र नेता एवं आरक्षण समर्थक विनोद यादव, अजीत यादव, लाला राम सरोज, सुरेंद्र चौधरी, आर. के. गौतम, आदि की अगुवाई में यह आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल गया है। 30 जुलाई को जब अपनी संवैधानिक मांग को लेकर लखनऊ में आंदोलन कर रहे थे तो इन्हें बर्बरतापूर्वक पीटा गया। डॉ. उदित राज ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार सामाजिक न्याय की बुनियाद पर बनी है तो क्या यही सामाजिक न्याय है कि जब अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोग स्वाभाविक अधिकार की मांग करें तो उनको बर्बरता से पीटा जाए। इनकी मांग है कि प्रारंभिक एवं मुख्य शिक्षा के स्तर पर ही पिछड़ों एवं दलितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए न कि साक्षात्कार के समय। परिसंघ ने संकल्प लिया है कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का हर कदम पर सहयोग किया जाएगा। आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ों को दिया गया है न कि सवर्णों को लेकिन जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है वह सवर्ण को ही आरक्षित श्रेणी में रखती है। इसके अनुसार सवर्ण का आरक्षण 50 प्रतिशत सरकारी सेवाओं में हो जाता है।

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण न होने से पहले ही अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रतियोगी दौड़ से बाहर हो जाते हैं। भले ही बाद में आरक्षण का प्रावधान हो फिर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है। भले ही यह अफवाह हो कि आरक्षण वाली सारी नौकरियां खा ले रहे हैं, यह मिथ्या है। आज भी लगभग 70 प्रतिशत से अधिक उच्च पदों पर सवर्ण ही हैं। पिछड़ों का आरक्षण तो पूरा ही नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायपालिका भी आरक्षण विरोधी है। 4 जनवरी, 2011 को लखनऊ हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी आरक्षण विरोधी रवैया अपनाया। श्री मुलायम सिंह जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भावनावश पिछड़ों का वोट पक्का है और आरक्षण विरोधी रवैये से सवर्ण खुश हो जाएंगे और इन हालातों में उनके कुनबे का भला होता रहेगा न कि पिछड़ों का। जो लोग यह चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि आरक्षण से सवर्णों के अवसर कम हो गए हैं तो केंद्र सरकार में उच्च पदों पर आसीन सवर्णों की भागीदारी से पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। 1 जनवरी, 2011 के अनुसार, कुल 149 सचिव में से अनुसूचित जाति के लोगों की उपलब्धता शून्य थी तो वहीं जनजाति के मात्र 4 लोग थे। 108 एडिशनल सेक्रेटरी में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में ही लोगों की संख्या मात्र 2 थी। ज्वाइंट सेक्रेटरी के 477 पदों पर अनुसूचित जाति से मात्र 31 तो जनजाति से 15 लोग ही थे। वहीं 590 निदेशकों में अनुसूचित जाति के 17 तो जनजाति के मात्र 7 लोग निदेशक पद पर थे। पिछड़े वर्ग की स्थिति तो और भी खराब है।

वहीं उत्तर प्रदेश परिसंघ के अध्यक्ष भवननाथ पासवान ने मांग किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार होश में आए और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की मांग को पूरा करे। 28 जुलाई से ही भारी संख्या में नौजवान और छात्र आंदोलित हैं। प्रतिदिन धरना-प्रदर्शन, कैंडल मार्च, मशाल जुलूस आदि इलाहाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इससे तनाव बना हुआ है। इनकी मांगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप हैं अतः उसे मान लिया जाना चाहिए। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सेवा नियमावली भी इनकी मांगों का समर्थन करती है। प्रारंभिक एवं मुख्य शिक्षा में आरक्षण होता है तो कुछ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े लोगों को भी सामान्य श्रेणी में स्थान मिल सकेगा। इसके बाद भी 30 प्रतिशत से ज्यादा सरकारी पदों पर सवर्ण बने रहेंगे। इससे सवर्णों को भी संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि जिसकी आबादी लगभग 15 प्रतिशत है उसकी भागीदारी 30 प्रतिशत से ज्यादा मिल रही है।

मीटिंग के दौरान (दांये से) डॉ. उदित राज, पी. सी. कुरील एवं भवननाथ पासवान

आगामी 25 अगस्त को लखनऊ में प्रांतीय सम्मेलन

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की उ0प्र0 इकाई का प्रांतीय सम्मेलन 25 अगस्त, 2013 (रविवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, सहकारिता भवन, लखनऊ में निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, सेना एवं पदोन्नति में आरक्षण के लिए आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज जी होंगें। इस सम्मेलन को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी सम्बोधित करेगें। उ0प्र0 के विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व समाजसेवियों को सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया साथियों सहित उपस्थित होकर सम्मेलन को सफल बनाएं।

भवननाथ पासवान
प्रदेश अध्यक्ष
09415158866

22 सितंबर, 2013 को मध्यप्रदेश परिसंघ एवं नसोसवायएफ का संयुक्त प्रदेश सम्मेलन

मध्यप्रदेश परिसंघ एवं नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) का संयुक्त प्रदेश सम्मेलन भोपाल के गांधी भवन, पॉलिटेक्निक चौराहा में आगामी 22 सितंबर, 2013 को रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ. उदित राज होंगे। यह आयोजन वरिष्ठ आईएएस डॉ शशि कर्णावत, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आप सभी परिसंघ के पदाधिकारियों, छात्रों एवं नौजवानों से आग्रह है कि सम्मेलन में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाएं।

निवेदक
श्री परमहंस प्रसाद
प्रदेश अध्यक्ष, परिसंघ, मध्यप्रदेश
मो.-09424746393

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

नये नियम से आरक्षण विरोधियों में हड़कंप

जितेंद्र यादव

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरक्षण के नए नियम के तहत साक्षात्कार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत् 15 जुलाई को तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक वह इसको लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देता। इन नये आरक्षण नियमों के आलोक में, यूपी लोक सेवा आयोग ने गत् 4 जुलाई को राज्य प्रवर सम्मिलित परीक्षा–2011 के मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किये, जिनसे आरक्षण विरोधियों की रातों की नींद उड़ गई। सामान्य सीटों में भारी संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जो पुराने नियमों के कारण अनुत्तीर्ण करार दे दिए जाते थे। गत् जुलाई को समाचार–पत्रों ने इलाहाबाद में आरक्षण के नये नियम के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के नेता सुरेश पाण्डेय के हवाले से खबर छापी है कि उन्हें मुलायम सिंह ने आश्वस्त किया है कि सरकार लोक सेवा आयोग को आरक्षण के नये नियम वापस लेने के लिए कहेगी। इसके विरोध में आरक्षण समर्थकों का जोरदार प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है।

दरअसल, अखिलेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नई आरक्षण नीति के तहत, यूपी पीसीएस की परीक्षा में तीनों स्तर पर (प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार) आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। इसकी बारीकियों को समझने की जरूरत है। पहले आरक्षण सिर्फ अंतिम मेरिट लिस्ट बनाने में लागू किया जाता था। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आरक्षण लागू नहीं था। यानी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में चाहे आप जितने अंक लाएं, अगर आप आरक्षित श्रेणी के हैं तो 'सामान्य' श्रेणी में नहीं जा सकते। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित कोटे में ही बांध दिया जाता था और इस प्रकार, 50 फीसदी सीटें सवर्ण तबकों से आए अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हो जाती थी। अंतर्निहित कारणों (कड़ी मेहनत में सक्षम होने आदि) से आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी पीसीएस, यूपीएससी आदि परीक्षाओं में प्रारंभिक और 'मुख्य परीक्षा' में सवर्ण विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

ज्ञातव्य है कि 27 मई 2013 को, यूपी लोक सेवा आयोग की एक बैठक में आयोग के सदस्य गुरुदर्शन सिंह ने प्रस्ताव रखा कि ''प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में भी आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों के अंक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के बराबर हैं या अधिक उनके साथ सामान्य वर्ग की तरह व्यवहार किया जाए।'' आयोग के अध्यक्ष आलोक यादव ने सदस्य गुरुदर्शन सिंह के प्रस्ताव पर सहमति जताई और माना कि आयोग के आरक्षण नियम में भारी खामी है। आयोग ने इसे दुरुस्त करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता सूची में सामान्य अभ्यर्थियों के समकक्ष या उनसे ऊपर होने पर उन्हें उक्त श्रेणी के बतौर साक्षात्कार में बुलाने को फैसला किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में आरक्षित तबके के विद्यार्थी सामान्य कोटे के तहत साक्षात्कार के लिए चुने गए।

आरक्षण के इस प्रावधान का विरोध कर रहे सवर्ण अभ्यर्थियों के अुनसार, उन्हें 30 प्रतिशत सीटों का नुकसान हो सकता है। उन्हें डर है कि 50 प्रतिशत सामान्य की सीटों में भी आरक्षित वर्ग के 30 फीसदी उम्मीदवार आ जाएंगे।

सवर्ण अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अखिलेश यादव सरकार पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे इस फैसले को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।

इधर यूपी पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि गलत आरक्षण पद्धति से अब तक उनके हितों का हनन होता रहा है। बैकवर्ड छात्र नेता मनोज यादव के अनुसार, ''उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड और दलित प्रतियोगी अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, जो सवर्ण अभ्यर्थियों से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिस आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी के सवर्ण विद्यार्थी के अंक से बेहतर हैं उन्हें किस तर्क से 'सामान्य' वर्ग में जाने से रोका जा सकता है ? अभी तक जो होता रहा है, वह निहायत ही षड्यंत्रपूर्ण था।''

गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग भी अभी तक प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कोटे के अंदर ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समेटता रहा है। केवल अंतिम परिणाम में कुछ अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की सीटों पर उत्तीर्ण होते हैं। आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी, जो उम्र या एटेम्प्ट की छूट के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं, उन्हें हर हाल में आरक्षित कोटे में ही रखे जाने की परंपरा है। यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा उठाए इस कदम का प्रभाव संघ लोक सेवा आयोग पर भी पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय प्रशासन में बहुजनों की भागीदारी की दिशा में यह एक ऐतिहासिक जीत होगी।

(साभार– फारवर्ड प्रेस)

ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित

राजेश मंचल

पंजाब में दलित समाज के हित में कई सालों से काम कर रहे 'डॉ. अम्बेडकर नवयुवक दल' ने एक नियम बना रखा है। उसके सदस्यों ने अपने घरों में ब्राह्मणों के प्रवेश पर घोषित रूप से, बजाप्ते बोर्ड लगवा कर, पाबंदी लगा दी है, जिस पर लिखा है– 'ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है।' वे ब्राह्मणों के हाथ से बना खाना नहीं खाते, न ही उन्हें अपनी किसी वस्तु को स्पर्श करने देते हैं। पिछले वर्ष का वाकया है। लुधियाना में नगर निगम के चुनाव हो रहे थे। चुनाव प्रचार के क्रम में एक पार्षद पद का ब्राह्मण उम्मीदवार, दल के प्रदेश महासचिव बंशीलाल प्रेमी के घरों में वोट मांगने के उद्देश्य से घुस गया। इससे बंशीलाल इतना खफा हुए कि उन्होंने तुरंत घर को अच्छी तरह धुलवा कर, शुद्धि की।

दल के सदस्य बताते हैं कि 'एक बार दिल्ली के एक कार्यक्रम से हिस्सा लेकर बस से लुधियाना वापस आ रहे थे। ड्राईवर ने हाईवे के एक बड़े रेस्त्रां पर बस रोकी। वेटर ने खाना हमारी टेबल पर लगाया ही था कि अचानक दल के एक कार्यकर्ता की नजर रेस्त्रां के मालिक पर पड़ी, जो सर पर लंबा सा तिलक लगा कर बैठा था। यह देखते ही सभी लोग खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। हमने वेटर से कहा कि यह खाना जूठा नहीं है। उठाना है तो उठा लो अन्यथा इसके पैसे ले लो। यह देख मालिक दौड़ता आया और खाना छोड़ने का कारण पूछने लगा। मालिक को जिज्ञासा हुई कि आखिर ये लोग ऐसी कौन सी उच्च जाति के हैं, जो एक ब्राह्मण के होटल का भी खाना नहीं खा रहे हैं। कई बार पूछने पर जब हमलोगों ने बताया कि हम भंगी और चमार जाति के हैं, तो उस पंडित की हालत देखने लायक थी।'

यद्यपि इसे आधुनिक, प्रगतिशील और सर्वथा उचित सोच नहीं कहा जा सकता लेकिन, अम्बेडकर नवयुवक दल का मानना है कि ब्राह्मण जाति के संपूर्ण बहिष्कार की आवश्यकता है। इससे उन्हें दलितों के साथ किये गये अन्याय का अहसास होगा तथा दलित समाज में आत्म सम्मान की भावना आएगी।

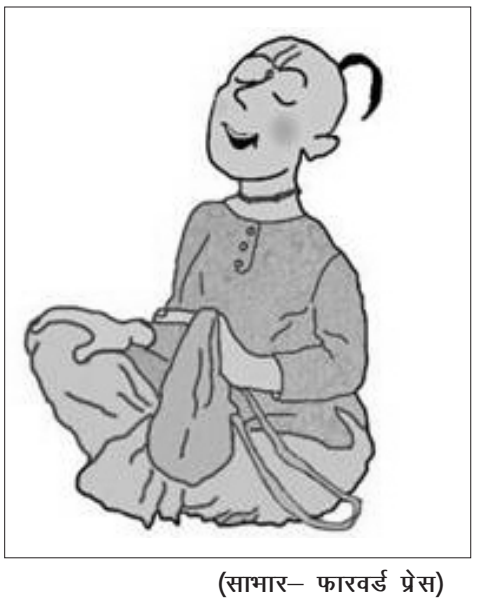

(साभार– फारवर्ड प्रेस)

उच्च कोटि के वास्तुविद और वैज्ञानिक थे असुर

प्रो. सतीश कुमार भगत

असुर जनजाति झारखंड राज्य के आठ आदिम जनजातियों में एक है। इन जनजातियों को इतिहास बहुत पुराना रहा है। त्रेता युग में ये रावण सेना के बाहुबली वीर हुआ करते थे। महाभारत युद्ध में असुर जनजाति कौरवों के साथ थे, बाद में पांडवों के साथ हो लिए। मोहन जोदड़ों और हड़प्पा संस्कृति असुरों की ही बतायी जाती है। ये उच्च कोटि के वास्तुकार और वैज्ञानिक माने जाते थे। असुर जनजाति झारखंड के अलावा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में भी निवासरत हैं।

प्रोटो ऑस्ट्रेलयाड प्रजाति : असुर जनजाति भूमध्य सागरीय जातियों में से एक है और प्रोटो आस्ट्रलायड के साथ कई शताब्दियों तक मिल कर रहा करते थे। उन्हें आज प्रोटो ऑस्ट्रेलायड के साथ कई शताब्दियों तक मिल कर रहा करते थे। उन्हें आज प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति समूह का ही माना जाता है।

पश्चिमोत्तर में था आधिपत्य : इन जनजातियों को आधिपत्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था। बाद में आर्यो से युद्ध होने के बाद ये उस क्षेत्र से विस्थापित हो गए। फिर मुंडा राजाओं और कोरवा राजाओं के बीच कलह और युद्धों का माध्यम बने असुर विभिन्न पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में स्थापित हुए।

गांवों के बीच गीतिओड़ा : असुरों के गांव पाट क्षेत्र तथा चौरस पठारी भूमि पर बसे होते हैं। गांव के बीचोंबीच 'गीतिओड़' नामक इनकी सांस्कृतिक संस्था अवस्थित होती है, जिसमें अखरा और बाजा घर भी होता है, जिसमें अखरा और बाजा घर भी होता है। इस घर में नृत्य-संगीत के समय सारे वाद्य उपलब्ध रहते हैं।

झोपड़ीनुमा साधारण घर : असुर जनजाति के घर साधारण झोपड़ीनुमा होते हैं। लकड़ी की दीवार खड़ी कर उस पर मिट्टी की लेप चढ़ा दिया जाता है। छत फूस की होती है। इनके घरों की दीवार मिट्टी की और छत खपरैल की होती है।

आदिकाल में लौहकर्मी : आदिकाल में असुर लौहकर्मी हुआ करते थे। ये लोहा गलाने और उससे हथियार या अन्य उपकरण बनाने में दक्ष थे। समय और परिस्थितियेां के अनुसार, इनके रहन-सहन और पेशे में बदलाव आया और ये खेती भी करने लगे। इनके जीवन-यापन के मुख्य साधन हैं कृषि, शिकार, जंगली कंद-मूल, वनौषधि आदि। ये रस्सी, सिंका, कृषि उपकरण, टोकरी, सूप, तीर-धनुष, लाठी-पैना आदि बनाकर बाजार में बेचते हैं।

मुख्य भोजन : इनके मुख्य भोजन में मक्का, जौ, चावल, मड़वा, गोंदली एवं जंगल से प्राप्त कंद-मूल, साग-पात, सब्जी तथा मांस, मछली शामिल हैं। इन जनजाति में चावल से बने हंड़िया, खैनी और हुक्का पीने का चलन है।

कम से कम वस्त्रों से गुजारा : इस जनजाति का पहनावा साधारण एवं सस्ता होता है। ये कम से कम वस्त्रों से गुजारा करते हैं। पुरुष वर्ग धोती, लुंगी तथा स्त्रियां साड़ी, तौलिया आदि का प्रयोग करती है।

स्त्री-पुरुष दोनों के आभूषण पुरानी रीति के अनुरूप ही होते हैं। इस जाति में गोदना प्रथा प्रचलित नहीं है।

पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार : असुर जनजाति संयुक्त परिवार में रहते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक होता है। ये तीन उपजातियों में विभाजित है। पहला बीर असुर, जो जंगलों में निवास करते हैं। दूसरा बिरजिया असुर, जो घूम-घूम कर खेती करते हैं। तीसरा आगरिया असुर, जो लोहा गलाने का काम करते हैं। इनमें कई गोत्र होते हैं और जन्म, मृत्यु, विवाह आदि संस्कार रीति-रिवाज के आधार पर करते हैं।

विवाह में कन्या मूल्य की प्रथा : इस जनजाति समाज में विवाह के लिए कन्या मूल्य की प्रथा है। विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे-सेवा विवाह, अपहरण विवाह, गोलट विवाह आदि। असुर समाज में विधवा विवाह और तलाक प्रथा भी होती है। असुर शवों को दफनाते हैं।

प्रधान देवता सिंगबोंगा : असुर जनजातियों के सर्वश्रेष्ठ देवता सिंगबोंगा है। इनके पुजारी बैगा होते हैं। इस समाज में बलि प्रथा भी प्रचलित है। ये सोहराई, सरहुल, फगुवा, नवाखानी आदि पर्व मनाते हैं।

झारखंड में निवास : झारखंड प्रदेश में असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, पलामू आदि जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

डॉ. अम्बेडकर इंडस्ट्रीयलिस्ट ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्यर्स एसोसिएशन की कार्यशाला

डॉ. उदित राज डॉ. अम्बेडकर इंडस्ट्रीयलिस्ट ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्यर्स एसोसिएशन (ब्राइट), छत्तीसगढ़ की कार्यशाला का संबोधन होटल बेबीलॉन, रायपुर में 11 अगस्त को किया। शुरू में ही उन्होंने इसके अध्यक्ष श्री अनिल मेश्राम, जो एस. के. फैशन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, को साधुवाद दिया कि उन्होंने व्यापार के मामले में दलित एवं आदिवासी समाज का नेतृत्व किया। समझा जाता है कि इनका व्यापार लगभग 50 करोड़ का है। अधीक्षक अभियंता श्री हर्षमेश्राम संस्था के प्रमुख सलाहकार हैं और यह गत् कई वर्षो से इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस कार्यशाला को दो सत्र में रखा गया था। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. उदित राज एवं दूसरे सत्र का मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमण सिंह ने किया। डॉ. उदित राज ने कहा कि निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की वजह से नौकरियां सीमित हो गई है और ऐसे में व्यापार ही एक सशक्त विकल्प है जहां से इन वर्गो के उत्थान को न ही बरकरार किया जा सकता है बल्कि आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इतनी बड़ी आबादी का समाज के खरीद एवं उपभोग के बगैर किसी का व्यापार फल-फूल नहीं सकता। दुर्भाग्य से ये स्वयं व्यापारी, उद्योगपति इंटरप्रेन्योर न होकर के उपभोक्ता ही बने रहे और आने वाले दिनों में भी अच्छे आसार नजर नहीं आते। इस क्षेत्र में सबसे सहज है धनोपार्जन बशर्ते इसके दांव-पेंच को भी समझना पड़ेगा। बुद्धि, श्रम एवं धन का उपयोग किए बगैर यह संभव नहीं है। ब्राइट एसोसिएशन की स्थापना के मुख्य उद्देश्य-

1. इन वर्गो के आर्थिक विकास हेतु उद्योग एवं व्यापार ट्रेड फेयर आयोजित करना एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण हेतु राज्य सरकार की गारंटी करवाना एवं अंशदान की राशि के भुगतान हेतु प्रयास करना।

2. इन वर्गो को उद्योग व्यापार ट्रेडिंग एवं अन्य क्षेत्रों में प्रमोट कर इनका एक नेटवर्क स्थापित करना।

3. इन वर्गो के उद्योगपति एवं व्यवसाइयों के हितार्थ समय-समय पर सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित करना।

4. केंद्र एवं राज्य सरकार की इन वर्गो के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं उनकी जानकारियां विभिन्न माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति तक उपलब्ध कराना जिससे जानकारी के अभाव में कोई लाभ से वंचित न रह जाए।

5. केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इन वर्गो के हितों तक पहुंचाना ताकि कोई इस बजट को दूसरे मदों पर खर्च करने का प्रयास न कर सके।

6. केंद्र एवं राज्य सरकारों एवं इन वर्गो के उद्योगपति, व्यापारी, ट्रेडर्स एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

7. केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न खरीदी, ठेकों, सेवाओं, भूमि, दुकानें एवं अन्य आवंटनों में इन वर्गो की आनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित कराना।

8. इन वर्गो के उद्योगपतियों, व्यापारियों की रकम जो विभिन्न कंपनी एवं व्यक्तियों द्वारा नहीं दी जा रही है उन्हें वापस दिलाने हेतु केंद्र एवं राज्य शासन पर नीतियां बनाने हेतु दबाव बनाने एवं संगठन के माध्यम से भी प्रयास करना।

9. आधुनिक तकनीक एवं अवसरों की जानकारियां इन वर्गो तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचना एवं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसबिलिटी सुनिश्चित करवाना।

10. आयात निर्यात एवं शेयर मार्केट की विभिन्न जानकारियां इन वर्गो को उपलब्ध कराना।

11. देश एवं प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति उद्योग एवं व्यापार विकास मंत्रालय एवं विभाग पृथक से बनाने हेतु शासन पर दबाव बनाना ताकि इन वर्गो में उद्यमिता का विकास एवं रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हो सके।

12. उचित मार्गो पर बस/मिनीबस एवं अन्य वाहनों के संचालन के परमिट हेतु इन वर्गो को प्रशासन-शासन से सुनिश्चित करवाना।

13. उद्योग एवं व्यापार के संबंध में केंद्र एवं राज्य शासन की भावी नीतियों में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल कराना।

14. राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर एवं कांफ्रेंस में इन वर्गो के प्रतिनिधियिों को शासन स्तर पर भेजा जाना सुनिश्चित करवाना।

30 अगस्त, 2013 को पटना में इंजपा कार्यकर्ताओं का बैठक

इंडियन जस्टिस पार्टी, बिहार प्रदेश की ओर से पंचायत परिषद भवन, विद्यापति मार्ग, म्यूजियम के पीछे, पटना, बिहार में आगामी 30 अगस्त, 2013 को सुबह 11 बजे से कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ उदित राज होंगे। आप सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि बैठक में शामिल होकर इसे सफल बनाएं।

आयोजनकर्ता

डॉ. अरविंद

प्रदेश अध्यक्ष

इंडियन जस्टिस पार्टी, बिहार

मो.-09470247418

WHY 50% RESERVATION FOR JUST 15% PEOPLE

Bhavannath Paswan

Lucknow, August 8, 2013. Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations said that Arakshan Bachao Sangarsh Samiti under the leadership of Shri Dinesh Kumar Yadav, is carrying on a campaign at Allahabad since July 28, 2013. This campaign is being spearheaded by students and reservation supporters like Vinod Yadav, Ajit Yadav, Lala Ram Saroj, Surendra Choudhary, R.K. Gautam,etc which has by now spread all over Uttar Pradesh. On the 30th July, 2013, when these leaders were holding a demonstration for their constitutional demand at Lucknow, they were mercilessly beaten by the Police. While condemning this action of the Government, Dr. Udit Raj said that the very foundation of the S.P. Government is based on social justice. Is it social justice that the people who are fighting for their legitimate demands should be brutally beaten by the Police under the Samajwadi Party Government. Their main demand is that reservation for backwards and Dalits should be at the Preliminary and Main examination stage and not at the interview level only. The Confederation has resolved that they will actively support the cause of the Arakshan Bachao Sangarsh Samiti at every stage. Reservation has been given to SC/ST and Backwards and not to the upper caste people but the situation in Uttar Pradesh is such that the upper caste people are kept in the reservation category. According to this, reservation for the upper caste people is 50% in Government jobs.,

Dr. Udit Raj further said that due to non-reservation at the preliminary examination, the SC/ST and backward people go out of the race in the first stage itself. Even though there is provision of reservation later on, but their exclusion at the preliminary stage has an adverse impact on them. It is a myth that SC/ST and Backward people are exhausting their reservation quota but the fact is that even today more than 70% of the posts at senior level are still held by the upper caste people in central govt.. Reservation for backwards is never complete. In Uttar Pradesh, the higher judiciary is also anti-reservation. On 4.11.2011, Lucknow High Court banned reservation in promotions. Unfortunately, the Samajwadi Party Government has also adopted anti-reservation policy. Shri Mulayam Singh is doing so because he is taking for granted the votes of the backward people on account of sentiments and by adopting an anti-reservation stance, the upper caste people will support him which in turn will be of some gain to his kith and kin. People who are crying from the roof tops that due to reservation, opportunities for the upper caste people have shrunk, then by going through the number of higher posts occupied by the upper caste people in central govt., we can know the truth. As on January 1, 2011, out of a total number of 149 Secretaries, not a single post is occupied by an SC officer and only four posts are held by officers of ST category. Out the total number of 108 posts of Additional Secretaries, only two posts are held by officers of SC/ST categories put together. Out of a total number of 477 posts of Joint Secretaries, 31 posts are held by officers of the SC category and 15 posts are held by officers of the ST category. Similarly from the total number of 590 posts of Directors, 17 posts are held by officers of SC category and only 7 posts are held by officers of ST category. The condition of the officers belonging to OBC category is still much worse.

The State President of the Uttar Pradesh Unit of the Confederation, Bhawan Nath Paswan, has demanded that the Smajwadi Party Government should take note of this serious situation and accept the demands of the Arakshan Bachao Sangarsh Samiti. A large number of youths and students have been taking part in this demonstration since 28.7.2013. Dharnas, Candle March and Torch Light March are being held at Allahabad on a daily basis which has created tension in the society. Their demands are in line with the Supreme Court judgement and as such, in all fairness, these should be accepted. The rules of the Personnel and Training Department of the Government of India are also in line with the demands. If there is reservation in Preliminary and Main examinations, then some people belonging to SC/ST and Backward categories will get some seats which are presently being grabbed by the upper caste people in view of non-reservation at preliminary and main examination stages.

Even after this, more than 30% posts of the upper caste people will be holding. The upper caste people should be satisfied with this dispensation because their population is 15% and their share in Government will be more than 30%.

29 अगस्त, 2013 को पटना में अतिपिछड़ा सम्मेलन

इंडियन जस्टिस पार्टी, बिहार प्रदेश की ओर से पंचायत परिषद भवन, विद्यापति मार्ग, म्यूजियम के पीछे, पटना, बिहार में आगामी 29 अगस्त, 2013 को सुबह 11 बजे से अतिपिछड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ उदित राज होंगे। आप सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं नौजवानों से आग्रह है कि सम्मेलन में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाएं।

आयोजनकर्ता

श्री रामेश्वर ठाकुर
प्रदेश महासचिव,
इंडियन जस्टिस पार्टी, बिहार
मो.–09835201223

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

CASTE BAR ON MARRIAGES BECAME ENTRENCHED 2000 YEARS AGO, GENETIC STUDY FINDS

Subodh Varma

NEW DELHI: In a fascinating study of how different types of populations mixed in India, scientists have found that there were three stages of intermixing.

In ancient times, over 4000 years ago, there were two separate populations based in north and south India with no mixing. Then, in the second stage between 4000 years ago and 1900 years ago, comes a phase of widespread intermingling of populations, which penetrated to even the most isolated groups. Finally, from around 1900 years onwards, several subgroups of the already mixed population stopped marrying outside their group, and thus became frozen.

Scientists from Harvard Medical School, US, and the Centre for Cellular and Molecular Biology in Hyderabad provide evidence for this sequence of development through analysis of geneticmaterial from 73 Indian population groups. The findings were published on August 8 in the American Journal of Human Genetics.

"Only a few thousand years ago, the Indian population structure was vastly different from today," said co-senior author David Reich, professor of genetics at Harvard Medical School(HMS) in a statement issued by the HMS. "The caste system has been around for a long time, but not forever."

Prohibition to marrying outside a defined community is called endogamy. It is one of the cornerstones of India's caste system. The decline of intermarriage between different communities as found by these scientists is due to the spread of the caste. This transformed India from a country where mixture between different populations was rampant to one where endogamy became the norm.

Earlier, in 2009, Reich and colleagues had analyzed 25 different Indian population groups and found that all populations in India show evidence of a genetic mixture of two ancestral groups: Ancestral North Indians (ANI), who are related to Central Asians, Middle Easterners, Caucasians, and Europeans; and Ancestral South Indians (ASI), who are primarily from the subcontinent. However, this analysis could not clearly define the timeline. So, the researchers analysed genetic material from almost triple the number and came up with a much clearer idea of the changes in India.

How do genetic scientists get to know so much about the past of different populations? The genomes - strands of DNA - of Indian people are a mixture of segments of ANI and ASI descent. Originally when the ANI and ASI populations mixed, these segments would have been extremely long. However, after mixture these segments would have got broken up and reshuffled as genetic material from the father and mother combined.

By measuring the lengths of the segments of ANI and ASI ancestry in Indian genomes, the scientists are able to obtain precise estimates of the age of population mixture. They found that mixing and shuffling of genetic strands continued between 4200 years to about 1900, depending on the population group analyzed.

"The fact that every population in India evolved from randomly mixed populations suggests that social classifications like the caste system are not likely to have existed in the same way before the mixture," co-senior author Lalji Singh, currently of Banaras Hindu University, and formerly of the Centre for Cellular and Molecular Biology said in the HMS statement. "Thus, the present-day structure of the caste system came into being only relatively recently in Indian history."

But once established, the caste system became genetically effective, the researchers observed. Mixture across groups became very rare. This has led to another consequence - the preservation of certain types of diseases within endogamous groups.

"An important consequence of these results is that the high incidence of genetic and population-specific diseases that is characteristic of present-day India is likely to have increased only in the last few thousand years when groups in India started following strict endogamous marriage," said co-first author Kumarasamy Thangaraj, of the Centre for Cellular and Molecular Biology in the HMS statement.

(Courtesy-Times of India)

Rest of Page-8...

CASTE SYSTEM REMAINS UNTOUCHED EVEN AFTER SIXTY-SIX YEARS OF INDEPENDENCE

for higher education and jobs.

Even after so many years of Independence, we are still carrying on with the most obnoxious profession of night-soil carrying. There is no other society in the world in which one set of people are carrying the night soil of others for their livelihood. Can these people who are doing most humiliating job call themselves free? Maybe, legally it is banned but still lakhs of people are doing this job. There does not appear to be any chance of abolition of discrimination based on caste and colour but things might change in a given set of circumstances. The upper-caste people were overjoyed with the Allahabad High Court judgement. With the passage of time, they are losing their grip in politics because of the caste system but still they are not ready to raise their voice against caste system. After the Allahabad High Court judgement, organizations like All India Jat Maha Sabha, World Brahmin Sabha, Poddar Sabha, Kshatriya Sabha laid emphasis on organizing themselves on caste lines but there is a glimmer of hope that, sooner or later, when people realize the demerits of the caste system, they will start getting rid of this evil. Dalits and Backwards who were victims of the caste system, are taking advantage of this caste system with a view to reap political benefits. The net result of this situation is that wherever people get benefits because of the caste system, they want to perpetuate it, and whenever it is to their disadvantage, they criticize it. How shall we able to overcome this contradiction in our way of thinking? After sixty-six years of Independence, we have not been able to abolish the big problem of doing away with the caste system.

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 18 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 August, 2013

CASTE SYSTEM REMAINS UNTOUCHED EVEN AFTER SIXTY-SIX YEARS OF INDEPENDENCE

Dr. Udit Raj

The country is celebrating its 66th Independence Day but the issue of abolition of the caste system has not even been touched, what to talk of resolving it. Prima facie, it may appear to be an exaggeration but the recent Allahabad High Court judgement that the caste-based political rallies should be banned, confirms the fact that the caste system is not only socially relevant but has become deeply entrenched in politics. Should the people be allowed to hold social and cultural convention on the basis of caste? This judgement was both welcomed and criticized but the voice of protest was not so vocal as it was a Court judgement which is used mostly behind the scenes. A period of 66 years is long enough to achieve something. So many countries in the world which became independent after we got independence or started the journey of development after us have gone far ahead of us. What is the main impediment which nullifies all our efforts?

We are divided into 6000 castes and 65000 sub-castes which leads to further divisions based on gotras. People who are not able to see the impact of these divisions and sub divisions on the society, should understand that these divisions and sub-divisions based on caste constantly influence the administration, social and economic policies and our day-to-day behaviour. Recently, there has been a strong debate on the issue of poverty line. Urban people earning more than Rs. 33.40 per person are deemed to be above the poverty line and for the rural people this limit has been fixed at Rs. 27.20 per person. A spokesman of the Congress Party has gone to the extent of saying that a man can have a hearty meal in just RS. 12/-. After a lot of hue and cry, the Government backtracked from this definition of poverty line. The norm of poverty line also keeps on changing with the passage of time. For a financial wizard, the main reasons for poverty are unequal distribution of wealth, fall in the GDP and decline in agricultural production etc. and not the caste system which is actually at the root of this problem. It is not only the financial wizards but writers, bureaucrats, politicians and businessmen are also suffering from this narrow and supercilious mindset.

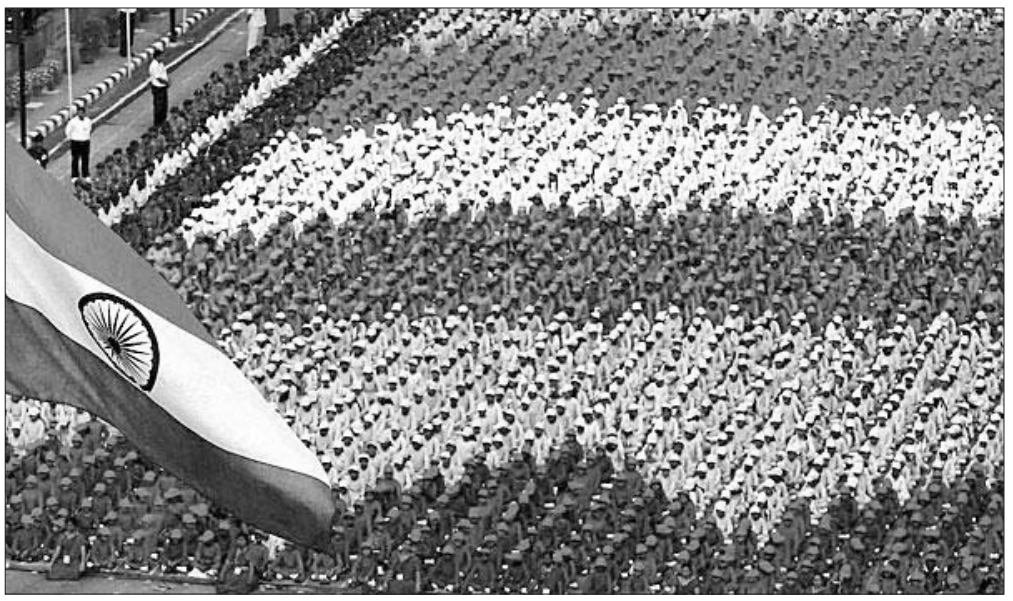

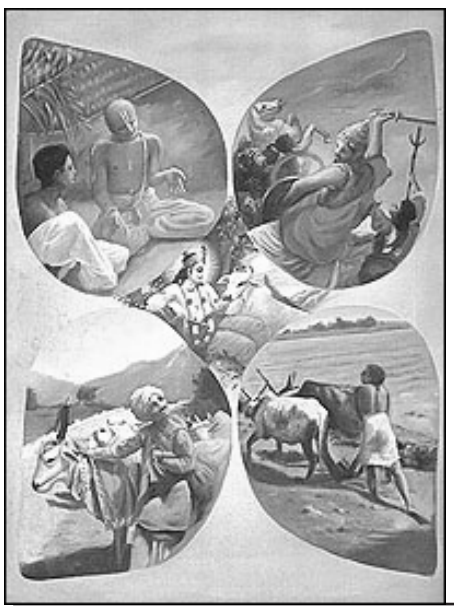

The Chinese economic model is praised by one and all but no efforts are being made to ascertain the causes which are responsible for the success of this model. Just as the caste system has been the biggest curse for our society, Chinese were also suffering from age-old rotten traditional customs and slow and sluggish mindset of the people which were responsible for keeping them backward. In China, the Government of the day realized the implications of this situation and initiated steps which culminated into a cultural revolution . The Chinese Government just did not leave the problem to the whims and fancies of the society. On the other hand, our government has not taken any bold steps to abolish the caste system with the result that the evil of caste system continues to raise its ugly head and in some cases the situation has further deteriorated. After all, what is the responsibility and accountability of the Government and the Administration on this issue? If the Government is closing its eyes on such a serious and important issue, then it is not difficult to make out the manner in which they have discharged their responsibility on this issue.

In fact, there is utmost discrimination among people in our country as compared to many other countries of the world. An instance will make this fact abundantly clear. According to The Times of India report, a Law student from Nigeria, Okoroko Higenes Uchena, studying in India, said that whenever he moves about on Delhi roads, people are found to whisper that a Kala (Black) is going. Sometimes people deleriously laugh at him. Uchena says that he puts on head-phone to deal with such a situation to save himself from the agony of this scenario. A more or less similar situation has been faced by a Black Rwandan when he went with a Nepali friend in search of a house on rent. The landlord told him that he could rent out his house to the Nepalese but not to the Black Rwandan. All the Non-Whites are not invited to the parties. These people have now stopped accepting invitations for parties. Uchena, the Nigerian student is planning to buy a photo-copy machine because the shopkeepers refuse to make photocopies of his documents or simply make an excuse that they are busy. It is a cruel joke that the Indian people who were themselves gravely discriminated and ill-treated by the Britishers, are themselves indulging in so much of discrimination which may not be found anywhere else in the world. On the other hand, the Blacks do not do any discrimination among themselves but we as Indians discriminate against one another. Caste discrimination is, of course, a big issue but apartheid problem is equally serious. A girl with a dark complexion faces formidable difficulties at the time of her marriage and the parents have to overcome these problems by offering hefty dowry. How can the Government say that it is a personal problem of the people whereas in China, they have not treated the problem in this way. In the matrimonial columns, almost all the people prefer to have fair-complexioned brides. Has the Government any ban on such matrimonial advertisements? We practice to such an extent that in the final analysis, we start hating ourselves. But the Non-white are much better than us in as much as they consider than black is beautiful. This discrimination has entered all walks of life in our country and is also visible in the field of education. Fair complexioned girls easily get bridegrooms at an early age and the dowry demand is also comparatively less. It is for this reason that such fair-complexioned girls are not able to go in

Rest on Page-7...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn